भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 584

जिसका उत्तर 04.02.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दोपहिया वाहनों के संबंध में एसओपी

584 श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मोटर यान अधिनियम, 1988 या एनएचएआई नियमों की वे विशिष्ट धाराएँ कौन-कौन सी हैं जिनके तहत पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर दोपहिया वाहन चालकों को रोकने और जुर्माना लगाने का अधिकार है;

(ख) क्या मंत्रालय का राज्य यातायात पुलिस के लिए "सुरक्षित ड्राइविंग गियर" और "स्टंट राइडिंग" के बीच अंतर हेतु एक "मानक संचालन प्रक्रिया" (एसओपी) जारी करने का प्रस्ताव है; और

(ग) उन्नत सुरक्षा सुविधाओं वाली उच्च श्रेणी की मोटरसइकिलों को पहुंच-नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंधित करने का औचित्य क्या है, जबकि कम सुरक्षा मानकों वाले पुराने चार पहिया वाहनों को अनुमति प्रदान की गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 35 के साथ-साथ मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 115, 116 और 119 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन और राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई भी प्राधिकरण जन सुरक्षा या सुविधा के हित में किसी भी निर्दिष्ट वर्ग के मोटर वाहनों या मोटर वाहनों के विवरण के संचालन को विनियमित करने के लिए अधिकार प्राप्त है।

इसके अलावा, किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अपनी ओर से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 177, 177क और 194 के तहत जुर्माना या शास्ति लगाने का अधिकार दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। वर्ष 2023 के लिए प्रकाशित सड़क दुर्घटना डेटा के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं में शामिल वाहन श्रेणियों में कुल दुर्घटनाओं और मौतों में सबसे अधिक हिस्सा, दोपहिया वाहनों का था। यह ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है कि दोपहिया वाहन में संरचनात्मक संबंधी कोई सुरक्षा (कोई क्रम्पल जोन, एयरबैग, सीट बेल्ट नहीं) उपलब्ध नहीं होती हैं और इसलिए एक्सप्रेसवे की गति पर प्रभाव घातक हो सकते हैं।
